रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0 एम0 14/92.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 15 जुलाई, 1992/24 आषाढ़, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

शिमला-4, 13 जुलाई, 1992

संख्या 1-38/92-वि0स0—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 1992 (1992 का विधेयक संख्यांक 17) को

जो दिनांक 13-7-1992 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

लक्ष्मण सिंह,
सचिव ।

1992 का विधेयक संख्यांक 17.

हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1992

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 है।

(2) यह 29 अप्रैल, 1992 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 2 का संशोधन।

1973 का 4 2. हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(घघ) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;"।

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, —

(क) उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ पर और से —

(क) अनुसूची-I के स्तम्भ (2) में वर्णित और हिमाचल प्रदेश में उपयोग किए गए या उपयोग के लिए रखे गए सभी मोटर यानों पर, अनुसूची-I के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से कर;

(ख) अनुसूची-II के स्तम्भ (2) में वर्णित और हिमाचल प्रदेश में उपयोग किए गए या उपयोग के लिए रखे गए सभी मोटर यानों पर,—

(i) हिमाचल प्रदेश में उनके प्रथम रजिस्ट्रीकरण पर, अनुसूची-II के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रकम पर सकृत कर ;

(ii) यदि वे पहले ही हिमाचल प्रदेश या किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत की गई है तो, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश में या अन्य राज्य में, उनके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख को ध्यान में रखते हुए अनुसूची-II के क्रमिक स्तम्भों (3) से (12) में विनिर्दिष्ट रकम पर सकृत कर ;
उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा"; और

(ख) उप-धारा (2) के विद्यमान परन्तुक के अन्त में आए "।" चिह्न के स्थान पर ":" चिह्न रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि ऐसी परिवर्तित दरें अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट किसी मोटर यान की बाबत, जिस पर सकृत कर उद्गृहीत और संगृहीत किया गया है, प्रभारित नहीं की जाएगी।"

धारा 4 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में, उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) कोई कर, जिसके लिए मोटर यान का प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्वामी या उस पर कब्जा या नियन्त्रण रखने वाला कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन ऐसी घोषणा द्वारा दायी प्रतीत होता है, उस द्वारा निम्नलिखित रूप में संदत्त किया जाएगा —

(क) जहां ऐसा यान अनुसूची-I के स्तम्भ (2) में वर्णित है,—

(i) एक वर्ष के लिए उसके स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् वार्षिक दर कहा गया है) ; या

(ii) एक या एक से अधिक तिमाहियों के लिए वार्षिक दर के एक चौथाई पर प्रत्येक तिमाही के लिए ; या

(iii) तिमाही के अन्तिम दिन को समाप्त होने वाली तिमाही से कम किसी अवधि के लिए, प्रत्येक पूर्ण मास या ऐसी अवधि में सम्मिलित उसके किसी भाग के लिए, वार्षिक दर के बारहवें (1/12) भाग पर :

परन्तु यदि रजिस्ट्रीकृत स्वामी या मोटर यान पर कब्जा या नियन्त्रण रखने वाला व्यक्ति एक वर्ष से अधिक के लिए कर अग्रिम रूप में संदत्त करना चाहता है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतन्त्र होगा; या

(ख) जहां ऐसा यान अनुसूची-II के स्तम्भ (2) में वर्णित है, अनुसूची-II के क्रमिक स्तम्भों (3) से (12) में विनिर्दिष्ट रकम पर, सकृत कर।"

धारा 10 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 10 में, उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा (3) जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) इस धारा की उप-धारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा जहां कर का संदाय धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अनुसार किया गया है।"

अनुसूची का प्रतिस्थापन।

6. मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"अनुसूची-I

(धारा 3 देखें)

क्रम संख्या	मोटर यानों का विवरण	प्रत्येक मोटर यान के लिए कर की वार्षिक दर
1	2	3
		रुपये
I.	माल वहन के लिए व्यापार और उद्योग के अनुक्रम में पूर्णतया प्रयुक्त यान जिसके अन्तर्गत निजी वाहन अनुज्ञा पत्र के अधीन आने वाले यान भी हैं, (जिसके अन्तर्गत 400 किलोग्राम से अधिक लदान रहित भार वाली ट्राइसाईकिल और टैम्पो भी हैं)—	
	(क) विद्युत चलित, किन्तु जिनका लदान रहित भार 1250 किलोग्राम से अधिक न हो।	72.00
	(ख) यथा पूर्वोक्त विद्युत चालित यानों से भिन्न यान जिनका लदान रहित भार 600 किलोग्राम से अधिक न हो।	276.00
	(ग) यान जिनका लदान रहित भार 600 किलोग्राम से अधिक किन्तु एक टन से अधिक न हो।	444.00
	(घ) यान जिनका लदान रहित भार एक टन से अधिक है किन्तु दो टन से अधिक न हो।	684.00
	(ङ) यान जिनका लदान रहित भार दो टन से अधिक है किन्तु तीन टन से अधिक न हो।	936.00
	(च) यान जिनका लदान रहित भार तीन टन से अधिक है किन्तु चार टन से अधिक न हो।	1368.00
	(छ) यान जिनका लदान रहित भार चार टन से अधिक है	2000.00
	(ज) प्रत्येक ट्रेलर के अतिरिक्त ट्रेलर को खींचने के लिए प्रयुक्त यान परन्तु उसी ट्रेलर के सम्बन्ध में इस खण्ड के अधीन दो या उससे अधिक मोटर यान प्रभार्य नहीं होंगे।	96.00
II.	किराये या पारिश्रमिक पर चलने वाली चालक और संवाहक के अतिरिक्त यात्रियों के वहन के लिए प्रयुक्त मंजिली गाड़ी।	25000.00 रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए 500 रुपये प्रति सीट प्रति वर्ष।
III.	किराये या पारिश्रमिक पर चलने वाली चालक और संवाहक या गाईड के अतिरिक्त यात्रियों के वहन के लिए प्रयुक्त संविदा गाड़ी।	8000 रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए 200 रुपये प्रति सीट प्रति वर्ष।
IV.	चालक और संवाहक के अतिरिक्त, पूर्वोक्त क्रम संख्या II और III के अन्तर्गत न आने वाली, शिक्षा संस्थान बस, सार्वजनिक सेवा यान, आमनी बस और अन्य बसें।	8000 रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए 200 रुपये प्रति सीट प्रति वर्ष।

अनुसूची–
(धारा

क्रम संख्या	मोटर यान का विवरण	मोटर यान के प्रथम रजिस्ट्रीकरण से आयु के आधार पर		
		पहली बार रजिस्ट्रीकृत किया जाने वाला और यान जो एक वर्ष से अधिक पुराना न हो	एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से अधिक पुराना न हो	दो वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो
1	2	3	4	5
		रु0 पै0	रु0 पै0	रु0 पै0
I.	मोटर साईकिल और ट्राइसाईकिल (जिसके अन्तर्गत यंत्र शक्ति से चलाने के लिए संलग्नकों सहित मोटर, स्कूटर और साईकिल भी हैं) जिसका लदान रहित भार 400 किलोग्राम से अधिक न हो:—			
	(क) मोटर साईकिल जिसका लदान रहित भार 90 किलोग्राम से अधिक न हो।	480.00	432.00	384.00
	(ख) मोटर साईकिल जिसका लदान रहित भार 90 किलोग्राम से अधिक हो।	960.00	864.00	768.00
	(ग) बाईसाईकिल जो ट्रेलर या साईड कार खींचने के उपयोग में लाई जाती है उसके लिए देय कर के अतिरिक्त।	240.00	216.00	192.00
	(घ) ट्राइसाईकिल (टैम्पू को छोड़कर)	960.00	864.00	768.00
II.	अशक्तों के लिए अनुकूलित और उनके लिए उपयोग में लाए जाने वाले यान जिनका लदान रहित भार 250 किलोग्राम से अधिक न हो।			—कोई
III.	इस अनुसूची और अनुसूची–I के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन, कर के लिए दायी से भिन्न मोटर यान जिनका रजिस्ट्रीकृत लदान रहित भार,—			
	(क) एक हजार किलोग्राम से अधिक न हो।	2000.00	1800.00	1600.00
	(ख) एक हजार किलोग्राम से अधिक किन्तु एक हजार पांच सौ किलोग्राम से अधिक न हो।	2500.00	2250.00	2000.00
	(ग) एक हजार पांच सौ किलोग्राम से अधिक किन्तु दो हजार किलोग्राम से अधिक न हो।	3500.00	3100.00	2800.00
	(घ) दो हजार किलोग्राम से अधिक	उपरोक्त खण्ड III (ग) में क्रमिक स्तम्भों (3) से (12) के सामने एक हजार किलोग्राम या इसके भाग के लिए।		

टिप्पणी.— इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले यानों पर कर उद्गृहीत करने के प्रयोजन के लिए वर्षों की

II

3 देखें)

परिवहन से भिन्न प्रत्येक यान पर सकृत एक मुश्त देय कर

तीन वर्ष से अधिक परन्तु चार वर्ष से अधिक पुराना न हो	चार वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष से अधिक पुराना न हो	पांच वर्ष से अधिक परन्तु छः वर्ष से अधिक पुराना न हो	छः वर्ष से अधिक परन्तु सात वर्ष से अधिक पुराना न हो	सात वर्ष से अधिक परन्तु आठ वर्ष से अधिक पुराना न हो	आठ वर्ष से अधिक परन्तु नौ वर्ष से अधिक पुराना न हो	नौ वर्ष से अधिक पुराना
6	7	8	9	10	11	12
रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
336.00	288.00	240.00	192.00	144.00	96.00	48.00
672.00	576.00	480.00	384.00	288.00	192.00	96.00
168.00	144.00	120.00	96.00	72.00	48.00	24.00
672.00	576.00	480.00	384.00	288.00	192.00	96.00

कर नहीं---

1400.00	1200.00	1000.00	800.00	600.00	400.00	200.00
1750.00	1500.00	1250.00	1000.00	750.00	500.00	250.00
2450.00	2100.00	1750.00	1400.00	1050.00	700.00	350.00

दर्शित राशि जमा उपरोक्त खण्ड III (क) में क्रमिक स्तम्भों (3) से (12) के सामने दर्शित राशि प्रत्येक अतिरिक्त

संख्या प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से संगणित की जाएगी।"

निरसन और व्यावृत्तियां ।

7. (1) हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1992 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम 29 अप्रैल, 1992 को प्रवृत्त हो गया था ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1972 के विद्यमान उपबन्धों के अधीन परिवहन यानों से भिन्न यानों अर्थात् कारों, जीपों, स्कूटरों, मोटर साईकिलों और दुपहिया वाहनों इत्यादि के स्वामियों से जिनके द्वारा ये वाहन अपने व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जा रहे थे, वार्षिक आधार पर टोकन कर का संदाय किया जाना अपेक्षित था। ऐसे यानों के स्वामियों को टोकन कर के संदाय के लिए, रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन प्राधिकारियों के कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष जाने से छुटकारा दिलाने और रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन प्राधिकारियों के कार्यालयों में भी काम का भार कम करने के लिए, सकृत कराधान की पद्धति को आरम्भ करने का विनिश्चय किया गया था।

चूंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1972 में तुरन्त संशोधन करना आवश्यक हो गया था, अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का 1) 25 अप्रैल, 1992 को प्रख्यापित किया गया था और इसे 27 अप्रैल, 1992 के राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था। उक्त अध्यादेश अब नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को बिना किसी परिवर्तन के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

महिन्द्र नाथ सोफत,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
13 जुलाई, 1992.

वित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक, परिवहन यानों से भिन्न यानों अर्थात् कारों, जीपों, स्कूटरों, मोटर साईकिलों और दुपहिया वाहनों इत्यादि पर सकृत कर उद्गृहीत करने के लिए है।

वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान ऐसे यानों से टोकन कर की आय लगभग 60 लाख रुपये थी। सकृत कराधान आरम्भ करने से वित्त वर्ष 1992-93 के दौरान लगभग 367 लाख रुपये की आय होगी और पश्चात्वर्ती वर्षों के दौरान, राज कोष में लगभग 69 लाख रुपये की औसत वार्षिक आय होगी।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[परिवहन विभाग नस्ति सं0 4-14 (14)/82-टी डी]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1992 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

Bill No. 17 of 1992.

THE HIMACHAL PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) BILL, 1992

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1992.

(2) It shall be deemed to have been come into force on the 29th day of April, 1992.

Amendment of section 2.

4 of 1973.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (hereinafter referred to as the principal Act), after clause *(d)*, the following clause shall be added, namely:—

"*(dd)* "Schedule" means a Schedule appended to this Act ;".

Amendment of section 3.

3. In section 3 of the principal Act,—

(*a*) for sub-section(1),the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) Subject to the other provisions of this Act, on and from the commencement of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1992, there shall be levied and collected on—

(*a*) all motor vehicles described in column (2) of Schedule-I and used or kept for use in Himachal Pradesh, a tax at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of Schedule-I ;

(*b*) all motor vehicles described in column (2) of Schedule-II and used or kept for use in Himachal Pradesh,—

(*i*) on their first registration in Himachal Pradesh, a one time tax at the amount specified in the corresponding entry in column (3) of Schedule-II;

(*ii*) the same having been earlier registered in Himachal Pradesh or in any other State, then having regard to the date of their first registration in Himachal Pradesh or, as the case may be, in that other State, a one time tax at the amount specified in the respective columns (3) to (12) of Schedule-II."; and

(*b*) in sub-section (2), in the existing proviso, for the sign "." occurring at the end, the sign ":" shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided further that such modified rates shall not be charged in respect of motor vehicles specified in Schedule-II on which one time tax has been levied and collected."

Amendment of section 4.

4. In section 4 of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) The tax to which a registered owner or person having possession or control of a motor vehicle appears by such declaration to be liable under section 3 shall be paid by him—

(*a*) where such vehicle is described in column (2) of Schedule-I,—

(*i*) for a year at the rate specified in the corresponding entry in column (3) thereof (hereinafter referred to as the annual rate); or

(*ii*) for one or more quarters, at one-fourth of the annual rate for each quarter; or

(*iii*) for any period less than a quarter expiring on the last day of the quarter, at one-twelfth of the annual rate for each complete month or part thereof included in such period:

Provided that if the registered owner or person having possession or control of such vehicle wants to pay the tax in advance for more than a year, he shall be at liberty to do so; or

(*b*) where such vehicle is described in column (2) of Schedule-II, a one time tax at the amount specified in the respective columns (3) to (12) of Schedule-II."

Amendment of section 10.

5. In section 10 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section (3) shall be added, namely:—

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2) of this section, no person shall be entitled to a refund under this section where payment of tax has been made in accordance with clause (*b*) of sub-section (2) of section 4."

Substitution of Schedule.

6. For Schedule of the principal Act, the following Schedules shall

be substituted, namely:—

"SCHEDULE-I

(*See* section 3)

Sl. No.	Description of motor vehicles	Annual rates of tax for each motor vehicle
1	2	3
I.	Vehicles used solely in the course of trade and industry for the transport of goods, including those covered by private carriers permits including tricycles weighing more than 400 kilograms unladen weight and tempos—	
	(*a*) electrically propelled, but not exceeding 1,250 kilograms in unladen weight ..	Rs. 72.00
	(*b*) vehicles other than such electrically propelled vehicles as aforesaid not exceeding 600 kilograms in unladen weight ..	Rs. 276.00
	(*c*) vehicles exceeding 600 kilograms but not exceeding one tonne in unladen weight ..	Rs. 444.00
	(*d*) vehicles exceeding one tonne, but not exceeding 2 tonnes in unladen weight ..	Rs. 684.00
	(*e*) vehicles exceeding two tonnes but not exceeding 3 tonnes in unladen weight ..	Rs. 936.00
	(*f*) vehicles exceeding 3 tonnes but not exceeding 4 tonnes in unladen weight ..	Rs. 1368.00
	(*g*) vehicles exceeding 4 tonnes in unladen weight ..	Rs. 2000.00
	(*h*) vehicles if used for drawing a trailer in addition for each trailer; provided that two or more motor vehicles shall not be chargeable under this clause with respect to the same trailer ..	Rs. 96.00
II.	Stage carriage plying for hire or reward used for the transport of passengers excluding the driver and conductor ..	Rs. 500.00 per seat per annum subject to maximum of Rs. 25000.00.
III.	Contract carriage plying for hire or reward and used for the transport of passengers excluding the driver and conductor or guide ..	Rs. 200.00 per seat per annum subject to maximum of Rs. 8000.00.
IV.	Educational institution bus, Private service vehicle, Omni bus and other buses not covered under Sl. No. II and III above excluding driver and conducter ..	Rs. 200.00 per seat per annum subject to maximum of Rs. 8000.00.

SCHEDULE-

(See

One time lump-sum tax for each motor vehicle

Sl. No.	Description of motor vehicles	To be registered for the first time and vehicle not more than one year old	More than one year but not more than 2 years old	More than two years but not more than 3 years old
1	2	3	4	5
		Rs.	Rs.	Rs.
I.	Motor cycles and Tricycles (including motor scooters and cycles with attachment for propelling the same by mechanical power) not exceeding 400 kilograms in unladen weight :—			
	(*a*) Motor cycles not exceeding 90 kilograms in unladen weight ..	480.00	432.00	384.00
	(*b*) Motor cycles exceeding 90 kilograms in unladen weight ..	960.00	864.00	768.00
	(*c*) Motor cycles used for drawing a trailer or side car in addition to the tax payable therefor ..	240.00	216.00	192.00
	(*d*) tricycles (excluding tempos) ..	960.00	864.00	768.00
II.	Vehicles not exceeding 250 kilograms in unladen weight adopted and used for invalids ..			
III.	Motor vehicles other than those liable to tax under the foregoing provisions of this Schedule and Schedule-I, the registered unladen weight of which—			
	(*a*) does not exceed one thousand kilograms ..	2000.00	1800.00	1600.00
	(*b*) exceeds one thousand kilograms but does not exceed one thousand and five hundred kilograms ..	2500.00	2250.00	2000.00
	(*c*) exceeds one thousand and five hundred kilograms but does not exceed two thousand kilograms ..	3500.00	3150.00	2800.00
	(*d*) exceeds two thousand kilograms ..	The amount indicated in respective columns (3) to 12 as against III (*a*)		

Note.—Number of years for the purpose of levying the tax on vehicles covered under this schedule,

II
section 3)
payable on the basis of age of motor vehicles from the first registration

More than three years but not more than 4 years old	More than four years but not more than 5 years old	More than five years but not more than 6 years old	More than six years but not more than 7 years old	More than seven years but not more than 8 years old	More than eight years but not more than 9 years old	More than nine years old
6	7	8	9	10	11	12
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
336.00	288.00	240.00	192.00	144.00	96.00	48.00
672.00	576.00	480.00	384.00	288.00	192.00	96.00
168.00	144.00	120.00	96.00	72.00	48.00	24.00
672.00	576.00	480.00	384.00	288.00	192.00	96.00
—	—Nil—	—	—	—	—	—
1400.00	1200.00	1000.00	800.00	600.00	400.00	200.00
1750.00	1500.00	1250.00	1000.00	750.00	500.00	250.00
2450.00	2100.00	1750.00	1400.00	1050.00	700.00	350.00

columns (3) to (12) as against III (*c*) above plus the amount indicated in respective above for every additional one thousand kilograms or part thereof.

shall be computed from the date of initial registration."

Repeal & savings. 7. (1) The Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 1992 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if this Act had come into force on the 29th day of April, 1992.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under the existing provisions of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972, the owners of vehicles, other than transport vehicles, *i.e.* Cars, Jeeps, Scooters, Motor Cycles and two wheelers etc. being used by the owners for their personal purposes, was required to pay the token tax on yearly basis. In order to relieve the owners of such vehicles from visiting the offices of the Registering and Licensing Authorities every year for the payment of token tax and also to reduce the burden of work load in the offices of the Registering and Licensing Authorities, it was decided to introduce the system of one time taxation.

Since the Legislative Assembly was not in session and the amendments in the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 had to be made urgently, the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 1992 (Ordinance No. 1 of 1992) was promulgated under Clause (1) of Article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on the 25th April, 1992 and was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary), dated 27th April, 1992. The said Ordinance is now required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

MOHINDER NATH SOFAT,
Minister-in-charge.

SHIMLA :
The 13th July, 1992.

FINANCIAL MEMORANDUM

This Bill seeks to levy the one time tax on vehicles, other than transport vehicles, *i.e.* Cars, Jeeps, Scooters, Motor Cycles and two wheelers etc. During the financial year 1991-92 the income from token tax was Rs. 60 lacs approximately. With the introduction of one time taxation, the income during the financial year 1992-93 will be approximately Rs. 367 lacs and the average income during the subsequent years will be approximately Rs. 69 lacs per annum to the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Transport Department File No. 4-14(14)/82-TD]

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 1992, recommends under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill in the State Legislative Assembly.

शिमला-4, 13 जुलाई, 1992

संख्या 1-40/92-वि0स0—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 1992 (1992 का विधेयक संख्यांक 18) जो दिनांक 13-7-1992 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

लक्ष्मण सिंह,
सचिव।

1992 का विधेयक संख्यांक 18.

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 1992

(विधान सभा में पुरः स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का 17) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 1992 है ।

धारा 4 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**:—इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण से ही न्यास या लाभ के पद का धारक नहीं समझा जाएगा कि उसको इस अधिनियम की धारा 15-क के अधीन अतिरिक्त कृत्य सौंपे गए है या उक्त कृत्यों के निर्वहन के लिए शक्तियां प्रदत्त की हैं ।"

धारा 8 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 8 में, खण्ड (ख) का लोप किया जाएगा ।

धारा 15-क का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 15—क में निम्नलिखित उप-धाराएं (4) और (5) जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"(4) इस अधिनियम में किसी बात के विरुद्ध होते हुए भी, यदि राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि —

(क) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण से सम्बद्ध कार्य की मात्रा लोक आयुक्त के पूर्णकालिक नियोजन को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है ; और

(ख) अतिरिक्त कृत्यों या लोक महत्व के मामलों के अन्वेषण का कर्त्तव्यभार (जो भ्रष्टाचार के उन्मूलन से सम्बद्ध नहीं है) लोक आयुक्त द्वारा इस अधिनियम के अधीन पालन किए जाने वाले कर्त्तव्यों पर अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पालन या संचालित किया जा सकता है ;

तो राज्यपाल, लोक आयुक्त की सहमति से या तो सशर्त अथवा अशर्त लोक आयुक्त को निम्नलिखित सौंप सकेगा —

(i) जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन अन्वेषण के लिए निर्दिष्ट लोक महत्व के किसी निश्चित मामले की जांच करना; या

(ii) कानूनी पद के कृत्यों का पालन करना और कर्त्तव्यों का निर्वहन करना ;

और वह उक्त जांच या उक्त कृत्यों का पालन अथवा उक्त कर्त्तव्यों का निर्वहन ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों और एजैंसियों के माध्यम से करेगा जो धारा 13 में निर्दिष्ट किए गए हैं ।

(5) जब उप-धारा (4) के अधीन कोई अतिरिक्त कृत्य प्रदत्त किए जाते हैं तो लोक आयुक्त वैसी ही शक्तियों का प्रयोग करेगा और वैसे ही कृत्य करेगा जैसे कि उस द्वारा, यथास्थिति, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन या उस अधिनियमिति के अधीन प्रयोग या निर्वहन किए जाते जिसके अधीन वह पद गठित या स्थापित किया गया है जिसके संबन्ध में उसने कृत्य करने हैं या कर्त्तव्यों का निर्वहन करना है ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "कानूनी पद" से वह पद अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा, राज्य में तत्समय प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित किया गया है और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित है या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा न्यायाधीश रहा है, धारित किया जाएगा ।

धारा 17 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 17 में —

(i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (क) रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश अथवा अनुच्छेद 236 क खण्ड (ख) में यथा परिभाषित न्यायिक सेवा का सदस्य या अनुच्छेद 323-क के अधीन गठित प्रशासनिक अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या ऐसा अधिकारी जिसका नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 235 के फलस्वरूप उच्च न्यायालय में निहित है;";

(ii) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (खख) अन्तः स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(खख) संविधान के अनुच्छेद 323-क के अधीन गठित किसी प्रशासनिक अधिकरण का कोई अधिकारी या सेवक," ;

(iii) खण्ड (घ) के अन्त में आए शब्द "और" का लोप किया जाएगा; और

(iv) खण्ड (ङ) के अन्त में आए ";" चिन्ह के पश्चात् "और" शब्द रखा जाएगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (च) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(च) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 68) की धारा 9 के खण्ड (ख) क अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष (रिडरैसल) आयोग का अध्यक्ष या सदस्य ।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार आर्थिक संकट का सामना कर रही है और लोक महत्व के मामलों की जांच करने या न्यायिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों द्वारा धारित किए जाने वाले कानूनी पद के कृत्यों के पालन और कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए आयुक्त के रूप में उच्च न्यायालय के पीठासीन या सेवा निवृत न्यायाधीश की पूर्णकालिक तौर पर नियुक्ति करने के लिए धन उपलब्ध नहीं करा सकती है। इस समय हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 के अधीन नियुक्त किए गए लोक आयुक्त के पास उसे व्यस्त रखने और उसके पूर्णकालिक नियोजन को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त कार्य नहीं है। इस समय ऐसे व्यक्तियों की भी कमी है जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा निवृत्त हुए हों और ऐसे कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त किए जा सकते हों जिनका निर्वहन विधिक अर्हताएं और पर्याप्त न्यायिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है लोक आयुक्त के पद और उसको उपलब्ध करवाए गए कर्मचारिवृन्द का अधिकतम उपयोग करने के लिए लोक आयुक्त को अतिरिक्त कृत्य सौंपना आवश्यक हो गया है। संविधान के अनुच्छेद 323-क के अधीन गठित प्रशासनिक अधिकरण और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 9 के खण्ड (ख) के अधीन गठित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पीठासीन अधिकारियों और उनके अधिकारियों को लोक आयुक्त के क्षेत्राधिकार से निकालना भी आवश्यक समझा गया है। इस कारण से हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

शान्ता कुमार,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
13 जुलाई, 1992.

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के अधिनियमित किए जाने पर राज कोष से कोई अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा। तथापि, लोक आयुक्त को अतिरिक्त कृत्य सौंपने के उपबन्ध राज्य सरकार द्वारा लोक महत्व के मामलों की जांच करने के लिए उपगत किए जाने वाले व्यय में कमी करेंगे। इस प्रकार होने वाली बचत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

Bill No. 18 of 1992.

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (FOURTH AMENDMENT) BILL, 1992

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (*Act No.* 17 *of* 1983).

BE IT enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-third Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Fourth Amendment) Act, 1992.

Amendment of section 4.

2. At the end of section 4 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (hereinafter called the principal Act), the following Explanation shall be inserted, namely:—

"*Explanation*:—For the purpose of this section a person shall not be deemed to hold an office of trust or profit by reason only that he has been entrusted additional functions or conferred powers to discharge the said functions under section 15-A of this Act."

Amendment of section 8.

3. In section 8 of the principal Act, clause (*b*) shall be omitted.

Amendment of section 15-A.

4. In section 15-A of the principal Act, the following sub-sections (4) and (5) shall be added, namely:—

"(4) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, if the Governor is satisfied that—

(*a*) the quantum of work connected with investigations under this Act is not sufficient to justify the whole time employment of the Lokayukta ; and

(*b*) the assignment of additional functions or investigations of matters of public importance (not connected with eradication of corruption) can be performed or conducted by the Lokayukta without impending or prejudice of the duties to be performed by him under this Act ;

the Governor may, with the consent of the Lokayukta, entrust, either conditionally or unconditionally, to the Lokayukta—

(*i*) to make an inquiry into any definite matter of public importance referred for inquiry under the Commissions of Inquiry Act, 1952 ; or

60 of 1952

(*ii*) to perform the functions and to discharge the duties of a statutory office;

and he shall hold said inquiry or perform said functions or discharge said duties through such officers, employees and agencies as are referred to in section 13.

(5) When any additional functions are conferred under sub-section (4), the Lokayukta shall exercise the same powers and discharge the same functions, as he would have exercised or discharged under the Commissions of Inquiry Act, 1952, or as the case may be, under the enactment constituting or setting up that office in relation to which he is to perform the functions or to discharge the duties.

Explanation.—For the purpose of this section the expression "statutory office" shall mean the office constituted or set up by the State Government under a State or a Central Act, for the time being inforce in the State, and which is to be manned by a person who is qualified for appointment as, or is a person who is or has been, a Judge of a High Court."

Amendment of section 17.

5. In section 17 of the principal Act—

(*i*) for clause (*a*), the following clause (*a*) shall be substituted, namely:—

"(*a*) the Chief Justice or any Judge of the High Court or a Member of the Judicial Service as defined in clause (*b*) of Article 236, or a Presiding Officer of an administrative tribunal set up under Article 323-A, or an officer the control whereof vests in the High Court by virtue of Article 235, of the Constitution;";

(*ii*) after clause (*b*), the following clause (*bb*) shall be inserted, namely:—

"(*bb*) any officer or servant of any administrative tribunal set up under Article 323-A of the Constitution ;";

(*iii*) in clause (*d*) the word "and" appearing at the end shall be omitted; and

(*iv*) in clause (*e*) for the sign "." occurring at the end, the sign and word "; and" shall be substituted and after clause (*e*) so amended the following clause (*f*) shall be added, namely:—

"(*f*) the President or a Member of the Consumer Disputes Redressal Commission set up by the State Government under clause (*b*) of section 9 of the Consumer Protection Act, 1986 (Central Act 68 of 1986)."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government is facing the financial crisis and cannot spare finances for the appointment of whole time sitting or retired Judges of the High Court to act as the Commissioners for making inquiries into the matters of public importance or to perform the functions and to discharge the duties of a statutory office to be manned by the persons having judicial experience. Presently there is no sufficient work load with the Lokayukta, appointed under the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983, to keep him busy and to justify his whole time employment. There is also the dearth of the persons, who have retired as the Judges of the High Court and Supreme Court and can be appointed to discharge such functions which are required to be discharged by the persons having legal qualifications and long judicial experience. To make optimum use of the office of the Lokayukta and the staff provided to him, it has become necessary to entrust additional functions to the Lokayukta. It has also been felt necessary to bring out of the purview of the Lokayukta, the Presiding Officers and officers of the Administrative Tribunals set up under Article 323-A of the Constitution and of the Consumer Disputes Redressal Commission set up under clause (b) of section 9 of the Consumer Protection Act, 1986. This has necessitated the amendments in the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983.

This Bill seeks to achive the aforesaid objectives.

SHANTA KUMAR,
Chief Minister.

SHIMLA :

The 13th July, 1992.

FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill, when enacted, will not involve any additional expenditure out of the State Exchequer. However, the provisions for the assignment of additional functions to the Lokayukta will cut short the expenditure to be incurred by the State Government for investigation of matters of public importance. The savings to that extent cannot be quantified exactly.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।